Reimbursement against the expenditure made by industrial unit for importing Advance Technology through NRDC

उन्नत तकनीकी आयात पर विशेष सुविधायें एवं एन.आर.डी.सी. (National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान की प्रतिपूर्ति योजना।

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना की कंडिका 4.2.21 एवं 4.2.20 के उद्धरण निम्नानुसार हैः–

4.2.21–एन.आर.डी.सी..(National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रोद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 2.00 लाख प्रतिपूर्ति, अनुदान के रूप में देय होगा।

4.2.20–''प्रस्तावित नीति के अंतर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधायें कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी यथा, स्लाटर हाउस, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोडकर) तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद,मदिरा,पान मसाला,गुटखा,परंपरागत उद्योग इत्यादि। शासन द्वारा ऐसे उद्योगों की सूची का संबंधित नियमों में पृथक से समावेश किया जायेगा। आवश्यक होने पर समय–समय पर यह सूची संशोधित की जायेगी।''

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा उन्नत तकनीकी आयात पर विशेष सुविधायें एवं एन.आर.डी.सी..(National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रो से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान की प्रतिपूर्ति योजना निम्नानुसार लागू करने के निर्णय लिये गये हैः–

1– उन्न तकनीकी आयात पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति योजना में राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय नियम/कानून के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं उत्पादन प्रक्रिया हेतु उन्नत तकनीक आयात पर किये गये व्यय की शत–प्रतिशत पूर्ति अधिकतम रू. 2.00 लाख एवं एन.आर.डी.सी..(National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रो से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2.00 लाख की प्रतिपूर्ति/अनुदान लघु उद्योग,वृहद एवं मध्यम उद्योग को देय होगी।

2– इस योजना के अतंर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधायें कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी यथा स्लाटर हाउस,एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स(पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोडकर) तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद,मदिरा,पान

मसाला,गुटखा,परंपरागत उद्योग इत्यादि(सूची राज्य शासन द्वारा शीघ्र जारी की जावेगी)।शासन द्वारा आवश्यक होने पर समय–समय पर यह सूची संशोधित की जायेगी।

3– इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु औद्योगिक इकाईयों को दिनांक 1.4.2004 के पश्चात उन्नत तकनीकी आयात एवं एन.आर.डी.सी..(National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रो से प्रौद्योगिकी क्रय करने पर पात्रता होगी।

4– इकाई को भारत सरकार से उद्योग स्थापना हेतु आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र/आई.ई.एम. प्राप्त कर स्थापित एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त तथा लघु उद्योग होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

5– इस योजना के अंतर्गत हुये व्यय की प्रतिपूर्ति इकाई द्वारा आयातित/क्रय की गई तकनीक के उपयोग से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात की जावेगी।इकाई को ऐसे उत्पादन प्रारंभ करने के 6 माह के अंदर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस शर्त को शिथिल करने के अधिकार उद्योग आयुक्त को होंगे।

6– यह प्रतिपूर्ति,उन्नत तकनीक आयात एवं एन.आर.डी.सी..(National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रो से प्रौद्योगिकी क्रय के लिये वास्तविक भुगतान की गई राशि पर किया जायेगा। इस कार्य पर हुये व्यय का सत्यापन सी.ए. के प्रमाण पत्र के आधार पर महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

7– इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आवेदन पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये जाने होंगेः–

अ–इकाई स्थापना हेतु भारत सरकार से प्राप्त आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र/आई.ई.एम.या महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी अस्थाई/स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र/उत्पादन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

ब–उन दस्तावेजो की अभिप्रमाणित प्रति जो उन्नत तकनीकी आयात करने के लिये किये गये व्यय प्रमाणित करते हों या एन.आर.डी.सी..(National Research Development Council) या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रो से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर भुगतान की रसीद।

स– आवेदन सह–शपथ पत्र।

8– इकाईयों को यह प्रतिपूर्ति/अनुदान किसी एक उन्नत तकनीक आयात अथवा प्रौद्योगिकी क्रय हेतु एक बार दिया जायेगा। प्रतिपूर्ति/अनुदान की अधिकतम सीमा के अंतर्गत इकाई एक से अधिक उन्नत तकनीक आयात अथवा प्रौद्योगिकी क्रय हेतु आवेदन कर सकेगी।

9– इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति/अनुदान स्वीकृत करने के पूर्व महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवश्यकता अनुसार मेपकॉस्ट (म.प्र.विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद)

अथवा लघु उद्योग सेवा संस्थान अथवा राज्य/स्वदेश के प्रौद्यागिकी संस्थानों से परामर्श प्राप्त कर सकेंगे।

10– योजना अंतर्गत प्रकरणों में प्रतिपूर्ति/अनुदान के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उनकी अधिकारिता क्षेत्र में होंगे।

11– इस योजना के क्रियान्वयन में व्याख्या की अस्पष्टता अथवा विवाद होने की दशा में उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

12– योजना हेतु आवेदन पत्र के परिशिष्ट 'अ' अनुसार होगा।